FORM No. III

App. A
Crim - I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अदालत SDO मुकाम बनेड़ा

नन्दलाल बनाम देवीलाल माली

मुकदमा 111,128 CR PC नं. 123/19 सन् 2019

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/7/19	वकील प्रार्थी द्वारा प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 CR PC विरूद्ध विपक्षीगण पेश किया गया। प्रा. पत्र बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी हेतु प्रत्रावली दिनांक 27/8/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
27/8/19	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारे है/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 10/10/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) आज्ञा से रीडर	
10/10/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता [illegible] उपस्थित। विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता [illegible] वास्ते जवाब दिनांक 14/11/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
14/11/19	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारे है/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक.........को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:44:59 IST
Reason: SelfAttested

मुकाम ....

बनाम ....

मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/2/21	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 29/5/21 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
29/5/21	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 6/7/21 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
6/7/21	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 2/11/21 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
3/11/21	पत्रावली आज विचार [illegible] के प्रशासन गांवों के संग [illegible] बैठक में पेश हुई [illegible] उपस्थित। प्रतिवादी द्वारा वादी की ओर से पत्थरगढ़ी [illegible] में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है समझौता स्वरूप अपने हस्ताक्षर पत्रावली पर किये गये हैं। अतः पत्रावली आपसी समझौते से निर्णीत की जाती है। निर्णय पृथक से लिखवा जारी आ.आ. किया गया पत्रावली फैसल	[illegible] नन्दलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:44:59 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर
अहक
हुक्म
में ज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
प्रशासन गॉवां के संग अभियान मुकाम बनेडा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री अंशुल सिंह (आर.ए.एस.)

...0 – 123/2019

उनवान

नन्दलाल पिता बदरी माली नि0 बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

---------- (प्रार्थी)

बनाम

1. देबीलाल पिता बालु माली नि0 तहसील कार्यालय के सामने बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
2. सोहन लाल पिता बालु माली नि0 तहसील कार्यालय के सामने बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
3. प्रभुलाल पिता बदरी माली नि0 बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

--------------(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

: : निर्णय : :

दिनांक – 22.11.2021

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 11.07.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बनेडा तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 694 के आ0न0 3145/1 , 3147/1 , 3148/1 , 3148/2 , 3184/1 , 31[illegible] [illegible] 07 रकबा 01–12 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षी पड़ौसी हैं [illegible] विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा [illegible] रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी [illegible] आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:44:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय प्रशासन गॉवो के संग केम्प मुकाम बनेडा मे दिनांक 22.11.2021 को पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नही होने व प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा सहमति व्यक्त की हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरूद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नही हैं।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया । प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य र्निविवादित प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बनेड़ा तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 694 के आ0न0 3145/1 , 3147/1 , 3148/1 , 3148/2 , 3184/1 , 3185/1 , 3186/1 कुल किता 07 रकबा 01–12 बीघा भूमि की पत्थरगढी से पूर्व उभय पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित करा (विधिवत तामील करा) बसामलात समस्त पड़ौसान के किये जाने का आदेश पारित किया जाता है । उक्त आदेश की पालना मे तहसीलदार बनेडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है । पत्थरगढी के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक को 200/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकराना को पूर्व मे सूचित कर उनकी उपस्थिति मे पत्थरगढी की जावे । कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को प्रशासन गॉवो के संग केम्प बनेडा मे सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:44:59 IST
Reason: SelfAttested